न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, कालपी, जनपद जालौन।
मुकदमा सं0— 143/2016
सरकार बनाम राजबहादुर

मु0अ0सं0 1137/2015
धारा 3/25 आयुध अधिनियम
थाना कालपी, जिला जालौन।

<u>आरोप</u>

मैं, दानवीर सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कालपी, आप अभियुक्त **राजबहादुर** को एतद्द्वारा निम्न आरोपों से आरोपित करता हूँ:—

1— यह कि दिनांक 16.10.2015 को समय 10.35 बजे, पहर चार, स्थान स्टेशन गेट के सामने करीब 50 कदम दूरी पर, अंतर्गत थाना कालपी, जिला जालौन में पुलिस बल द्वारा आपके कब्जे से एक तमन्चा देशी 315 बोर तथा दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया, जिसका रखने का वैध लाईसेन्स आपके पास नहीं था। इस प्रकार आप ने आयुध अधिनियम की धारा—3/25 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा मैं आपको निर्देश देता हूँ कि उक्त आरोपों में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक—01.04.2019

(दानवीर सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कालपी,
जनपद जालौन।

अभियुक्त को आरोपों को पढ़ कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया व विचारण की मांग की।

दिनांक—01.04.2019

(दानवीर सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कालपी,
जनपद जालौन।